हिन्दू विवाह के बदलते प्रतिमान

डॉ0 दिनेश उपाध्याय*

हिन्दू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार, आवश्यकता और परिपाटी है, परन्तु आधुनिक युग में इसका धार्मिक पक्ष निरन्तर कमजोर होता जा रहा है और विवाह की अवधारणा में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। विवाह के पीछे अब अधिकतर व्यक्तियों का दृष्टिकोण धार्मिक दायित्वों की पूर्ति करना न होकर सेक्स और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो गया है। सामाजिक जीवन में श्राद्ध, तर्पण और यज्ञों के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति आ जाने से पुत्र जन्म को विवाह का अन्तिम लक्ष्य नहीं माना जाता। सगोत्र और सप्रवर विवाह के प्रतिबन्ध में विश्वास कम होता जा रहा है। अनुलोम–प्रतिलोम का भेद समाप्त होता जा रहा है। मर्चेन्ट के अध्ययन से पता चलता है कि विवाह को एक पवित्र संस्कार समझने के स्थान पर वैयक्तिक संकल्पना अब जोर पकड़ रही है। गुजरात से सम्बन्धित देसाई के अध्ययन से पता चलता है कि हिन्दू समाज का स्तम्भ सांस्कारिक विवाह अब कमजोर होता जा रहा है।

हिन्दू विवाह की बदलती अभिवृत्तियों से सम्बन्धित वर्तमान अध्ययन 150 हिन्दू उत्तरदाताओं के द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। इस अध्ययन में विहार की राजधानी पटना नगर का अध्ययन किया गया है।

हिन्दू समाज में जाति एवं विवाह का चोली–दामन का साथ है। जातियाँ आज भी उस क्षेत्र का निर्धारण करती हैं जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन साथी का चुनाव करना होता है। शोभिता जैन (2002) का मानना है कि प्रवासियों को अधिकतर सामाजिक जीवन की परिधि रेखा पर ही देखा जाता है और उनके अनुभव, जीवन–दृष्टि को गौंण माना गया है, लेकिन विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में जाति/उपजाति के विविध आयाम अधिक मुखर होकर सामने आते हैं। अधिकांश अध्ययनों, जिनमें बार्टन एम. श्वार्ट्ज द्वारा सम्पादित लेखों में विद्वानों ने माना है कि प्रवासी भारतीयों के समुदायों में जाति का प्रायः विलीनीकरण हो चुका है। एड्रियन मेयर ने यह भी कहा है कि प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में कहीं–कहीं तो वर्ण ने जाति की जगह ले लिया है। भारत में वर्ण की अखिल भारतीय संदर्भ में महत्ता है कि भारत के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों एवं स्थानीय जाति/उपजाति पदक्रम वाले लोग एक–दूसरे की तुलनात्मक पहचान वर्ण के माध्यम से कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देशान्तर के अतिरिक्त आन्तरिक देशान्तरण करने वाले समुदायों में भी जाति की जगह वर्ण ले रहा है। यद्यपि इसकी गति कुछ धीमी है। उत्तरदाताओं से अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में पूछने पर 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि वह इसे स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात् वे विवाह सजातीय परिवारों में ही करेंगे। 30 प्रतिशत उत्तरदाता जाति तथा अंचल की सीमाओं को नहीं मानते हैं तथा 7 प्रतिशत उत्तरदाता वर्ण समान होने पर अन्य अंचलों के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण जाति का स्थान ले रहा है, विशेषकर वैवाहिक संदर्भों में। धुरिये के अनुसार पहले अपने वर्ण के बाहर विवाह करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी परन्तु अब प्रेम और आकर्षण के कारण युवक–युवतियाँ इस बन्धन को तोड देने के लिए तैयार हैं।

भारतीय समाज में विवाह संबंध स्थापित करने में उच्च जातीय स्थिति के साथ–साथ आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं व्यावसायिक स्थिति का महत्व बढ़ता जा रहा है। उत्तरदाताओं से जब जीवन–साथी के चुनाव की कसौटी के संदर्भ में पूछा गया तो 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उच्च जातीय स्थिति को महत्व दिया तथा 22 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति को महत्वपूर्ण मानते हैं। 64 प्रतिशत उत्तरदाता वर अथवा वधू की शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता को महत्व प्रदान करते हैं। प्रदत्त प्रस्थिति की अपेक्षा अर्जित प्रस्थिति का महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप अपने बच्चों के सुखी वैवाहिक जीवन की आकांक्षा ने जाति के क्षैतिज फैलाव को बढ़ा दिया है।

हिन्दू समाज में विवाह निर्धारित करने में जन्मपत्री का मिलान किया जाता है। अपने बच्चों के भावी जीवन को ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जनमपत्री मिलाकर विवाह किया जाता है। 81 प्रतिशत उत्तरदाता जन्मपत्री मिलाकर विवाह किये जाने के पक्ष में हैं, शेष इसे अनिवार्य नहीं मानते हैं।

विवाह के समय वर अथवा वधू पर एक दूसरे के ग्रहों के अनिष्ट प्रभावों से बचने के लिए विष्णु की प्रतिमा द्वारा विवाह का प्रचलन है, जिसमें कन्या का विवाह पहले विष्णु प्रतिमा के साथ विधिवत् करके उसका वर विष्णु जी को माना जाता है, जिससे वर के ऊपर अनिष्टकारी प्रभाव न पड़े। कन्या, विवाह की इस प्रतिमा को अपने साथ रखती है। तत्पश्चात् विवाह के अन्य कर्मकाण्ड वर के साथ सम्पादित किये जाते हैं। कभी–कभी घड़े के साथ भी विवाह सम्पन्न किया जाता है, जिसे घट विवाह कहते हैं 54 प्रतिशत उत्तरदाता अनिष्ट निवारण के

* असिस्टेन्ट प्राफेसर–समाजशास्त्र विभाग, गिरीश नारायण मिश्र, महाविद्यालय परसथुआं, रोहतास (बिहार)

लिए विष्णु प्रतिमा अथवा घट विवाह को आवश्यक मानते हैं। 19 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रथा के विषय में जानते हैं परन्तु इसे आवश्यक नहीं मानते हैं। शेष उत्तरदाताओं ने इस प्रथा के विषय में अनभिज्ञता प्रकट की है।

आधुनिकीकरण, शिक्षा एवं संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण विवाह निर्धारण में वर–वधू की राय महत्वपूर्ण हो गयी है। 9 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि विवाह से पूर्व वर तथा वधू की राय ली जानी चाहिए। कार्मेक के अध्ययन में भी 83 प्रतिशत छात्र–छात्राओं का इसी तरह का मत था।

विवाह तय करने की प्रक्रिया में कुछ लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो दो परिवारों के बीच मध्यस्थता कर, विवाह तय कराते हैं। भारतीय समाज के ग्रामीण भागों में आज भी नाई तथा पंडित विवाह तय कराते हैं। संचार माध्यमों के बढ़ते प्रभावों ने वैवाहिक विज्ञापन को मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। 14 प्रतिशत उत्तरदाता पंडितों को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। 15 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि वैवाहिक रिश्ते, नातेदारों द्वारा बताये जाते हैं। 55 प्रतिशत उत्तरदाता नेत्रों के योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा 16 प्रतिशत उत्तरदाता समाचार पत्रों को रिश्ते तय करने में महत्वपूर्ण मानते हैं।

हिन्दू विवाह से सम्बन्धित एक प्रमुख समस्या दहेज की है। अध्ययन में यह देखने में आया कि अन्य अंचलों के प्रभाव के कारण उनके यहाँ दहेज किसी न किसी रूप में प्रचलित होने लगा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं के वैवाहिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ है। जाति का अभी भी महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु जाति के अन्दर ही उच्च एवं निम्न के भाव का लोप हो रहा है। कहीं–कहीं जाति का स्थान वर्ण द्वारा लिया जाने लगा है। परिवार की उच्च जातीय स्थिति तथा पारम्परिक स्थिति की अपेक्षा वर एवं वधू की वैयक्तिक स्थिति का महत्व बढ़ता जा रहा है जहाँ एक और परिवार एवं जाति जैसे पारम्परिक संस्थाओं का महत्व कम हो रहा है, वहीं तुलनात्मक रूप में जन्मपत्री का मिलान एवं प्रतिमा विवाह की मान्यता अभी भी बरकरार है। यह विचित्र संयोग है कि जहां एक ओर कुछ पारम्परिक कारकों की जड़ें कमजोर हुई हैं। वहीं ज्योतिषीय गणना का महत्व बरकरार है। बदलते परिप्रेक्ष्य में जहां वर–वधू की राय महत्वपूर्ण हो गयी है और नये मध्यस्थों का उदय हुआ है वहीं दहेज प्रथा का प्रचलन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आरम्भ हो गया है। आधुनिकता तथा परम्परा का अद्‌भुत संयोग हमें इस अध्ययन में देखने को मिलता है।

सन्दर्भ :

1. जैन, शोभिता, 2002, भारत में परिवार विवाह एवं नातेदारी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
2. Upreti, M.C., 1981, Social Organisation of a Migrant group, Himalayan Publication, New Delhi.
3. मचेन्ट, के.टी., 1935, चेंजिंग व्यूज़ ऑन मैरेज एण्ड फैमिली, पाल एण्ड क0, मद्रास।
4. देसाई, जी.बी., 1945, बीमेन इन माडर्न गुजराती लाइफ, यूनिवर्सिटी ऑफ बाम्बे।
5. घुरिये, जी. एस., 1950, कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पापुलर बुक, बाम्बे।

●